राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	झमकू देवी बनाम गुलाब देवी 1785/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/05/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
15/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13/12/2024 पारित करते हुये खं.नं. 173 रकबा 0.0506 हैक्टर, खं.नं. 174 रकबा 0.4046 हैक्टर, खं.नं. 175 रकबा 0.7081 हैक्टर किता 3 कुल रकबा 1.1633 हैक्टर व खं.नं. 169 रकबा 0. 4679 हैक्टर, खं.नं. 176 रकबा 0.7966 हैक्टर, खं.नं. 187 रकबा 2.5290 हैक्टर, ख.न. 188 रकबा 0.6196 हैक्टर, खं.नं. 243 रकबा 5.0454 हैक्टर किता 5 कुल रकबा 9.4585 हैक्टर वाकै ग्राम नरायना प.ह. नरायना ए भू.अ.नि.क्षे. नरायना तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज. में मुताबिक जमाबन्दी दर्ज खातेदारों का हिस्सा अलहदा अलहदा किया जाकर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के तहत जहा तक यथासंम्भव हो कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बोन्डस अनुसार एवं सभी हिस्सेदारों हेतु रास्ता दर्शाते हुये उभयपक्षो की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये तहसीलदार स्वयं की मोके पर उपस्थिति होकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22/04/2025 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक व अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 28/05/2025 पारित करते हुये प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/12/2024 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22/04/2025 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एक माह में विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया | राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पुन: दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	झमकू देवी बनाम गुलाब देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1785/2025

तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद तहसीलदार फुलेरा द्वारा प्रेषित नक्शे कुर्रेजात दिनांक 13/01/2025 के आधार पर अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16/10/2025 पारित कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण करते हुये सही रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये पक्षकारान/सहखातेदारान के मध्य विभाजन किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डि ी में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक नही समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16/10/2025 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 15/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर